प्रकरण संख्या 44/2018 भैरूसिंह बनाम सरकार

तारीख हुक्म	हुक्म पर कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
18.12.2018	वकील उभयपक्ष अनुपस्थित। प्रकरण में वकील उभयपक्ष की अपील पर बहस सुनी गयी एवं अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली के रेकार्ड का अवलोकन किया गया तो यह पाया कि प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 28.05.2018 को लोक अदालत में रखा गया। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 2 बावजूद सूचना अनुपस्थित अंकित करते हुए उसके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश दिये। प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा अपना जवाब प्रस्तुत किया जाना भी अंकित किया गया, जबकि प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया है। प्रकरण में सिर्फ प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से दो लाईनों का जवाब प्रस्तुत इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि उक्त मामले में न्यायालय आदेश से विभाजन द्वारा तरमीम होना पाया गया है व उक्त तरमीम में फेरबदल करना चाहता है। प्रकरण इन्द्राज दुरस्ती की श्रेणी में नहीं आता है। इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय ने वादी/अपीलान्ट को सुने बिना वादी का वाद खारिज कर दिया। यदि लोक अदालत में वादी के उपस्थित नहीं था तो अधिनस्थ न्यायालय को प्रकरण में नियमानुसार सुनवाई कर निर्णय पारित करना चाहिए था। प्रकरण में स्पष्टतया वादी को सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया है, तद्नुसार अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय प्राकृतिक न्याय के विरूद्ध होने से अपास्त योग्य है। अतएवं अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 28.05.2018 अपास्त की जाती है तथा प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में उभयपक्षों को सूचित कर तथा उन्हें सुनवाई का पूर्ण अवसर देकर प्रकरण में विधिक निर्णय पारित करें। पक्षकारान अधिनस्थ न्यायालय में अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु दिनांक 18.02.2019 को उपस्थित रहें। पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। निर्णय आज दिनांक 18.12.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। (एल.एन. मंत्री) भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर	

प्रकरण संख्या 44/2018 भैरूसिंह बनाम सरकार